निर्देश संख्या 42

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षत्रों में,

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,

(एस. टी. सी. बिल्डिंग)

टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली

सं.120015/25 /टी.पी.पी./2021/सी.ए.क्यू.एम./948-955 **दिनांक: 17.09.2021**

विषय: कोयला आधारित ताप विद्युत् संयंत्रों में उपयोग द्वारा, पर-स्थाने (एक्स-सीटू) धान की भूसी का प्रबंधन|

1. जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (यहाँ आयोग के तौर पर संदर्भित) का गठन किया है|

2. जबकि, अधिनियम 2021 की धारा 30 में व्यवस्था की गई है कि पहले के अध्यादेश 2020 के तहत की गई किसी कार्यवाही के लिए ऐसा समझा जायेगा कि अध्यादेश 2021 के प्रावधानों के समरूप कार्यवाही की गई|

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियाँ हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का संरक्षण एवं सुधार करने के उद्देश्य से यथा आवश्यक या व्यावहारिक या जैसा आवश्यक समझें, ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करें|

4. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (xi) आयोग को अधिकार देती है कि किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी को लिखित में निर्देश जारी करें और ऐसे व्यक्ति, अधिकार या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे|

5. जबकि, आयोग ने अपना मत व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धान की पराली जलाना वायु की गुणवत्ता के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और धान की भूसी का पर-स्थाने (एक्स-सिटू) उपयोग, विशेषत: कोयला आधारित ताप विद्युत् संयंत्रों में इस समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति हैं, जो कि इसके सशक्त उपभोक्ता हैं |

6. जबकि, अतीत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों के साथ पर-स्थाने (एक्स-सीटू) पराली प्रबंधन के मामले को आयोग ने उठाया और राज्य सरकारों को प्रभावी ढंग से बताया गया था कि पर-स्थाने (एक्स-सिटू) विकल्प को व्यवहार्य एवं सफल बनाने के लिए जैव-ईंधन (बायोमास) का आपूर्ति क्रम सुनिश्चित किया जाए|

7. जबकि, पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए पर-स्थाने (एक्स-सिटू) पराली प्रबंधन के बारें में, पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश सरकारों को आयोग ने दिनांक 28.07.2021 को एडवाइजरी जारी किया था|

8. जबकि, बायोमास पेलेट को ताप विद्युत् संयंत्रों में को -फायरिंग के द्वारा उपयोग के मामले पर आयोग की दिनांक 09.12.2020, 13.07.2021, 19.08.2021 और 24.08.2021 को आयोजित बैठकों में विचार-विमर्श किया गया|

9. जबकि, परीक्षण एवं प्रयोग के आधार पर एन. टी. पी. सी. द्वारा पुष्टि की गई है कि यह तकनीकी रूप से संभव और कार्यान्वयन योग्य है कि बॉयलरों में बिना किसी बदलाव के ताप विद्युत् संयंत्रों में 5 से 10% के अनुपात में कोयला के साथ बायोमास पेलेट्स को-फायर किया जाए|

10. जबकि, एन. टी. पी. सी. ने अपने विद्युत् संयंत्रों में बायोमास पेलेट्स को -फायर करना पहले से ही शुरू कर दिया है और परीक्षण की सफलता के आधार पर पूरे देश से ताप विद्युत् संयंत्रों में बायो पेलेट्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है|

11. जबकि, आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को आयोग की 19 अगस्त, 2021, और 24 अगस्त, 2021 को हुई 5वी˙ बैठक में एडवाइजरी दिया कि धान की भूसी को ईंधन के तौर पर राज्य के ताप विद्युत् संयंत्रों, क्षेत्र के एन.टी.पी.सी. के विद्युत् संयंत्रों में को -फायर किया जाए और निजी विद्युत् संयंत्र संचालकों को भी इस प्रकार की पहल करनी चाहिए|

12. जबकि, माननीय मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 03.09.2021 को बैठक की अध्यक्षता की जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के ताप विद्युत् संयंत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें विचार विमर्श किया गया और जोर दिया गया कि ताप विद्युत संयंत्रों में भूसी आधारित बायोमास पेलेट्स का प्रयोग करने की अति- आवश्यकता है|

13. जबकि, आयोग की दिनांक 09.09.2021 को आयोजित बैठक में आगे विचार-विमर्श हुआ जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों के सभी ताप विद्युत् संयंत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें धान की भूसी आधारित पेलेट्स को कोयले के साथ को-फायर करने की आवश्यकता को दोहराया गया|

निर्देश संख्या 42

14. इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों में धान की भूसी को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की अति-आवश्यकता है और इसके संसाधन के रूप में प्रभावी उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021" के प्रावधानों के तहत गठित आयोग, दिल्ली के 300 कि.मी. के रेडियस में स्थित कोयला आधारित विद्युत् संयंत्रों में यह निर्देश देता है कि: -

(i) विद्युत् संयंत्रों में एक निरंतर और अबाधित आपूर्ति क्रम में 5 से 10 % तक बायोमास आधारित पेलेट्स / टोरीफाइड पेलेट्स / ब्रिकेटस (धान की भूसी पर विशेष ध्यान के साथ) कोयले के साथ को-फायर करने हेतु तुरन्त पहल की जाए और

(ii) बिना किसी देरी के ताप विद्युत् संयंत्रों में बायोमास पेलेट्स को-फायर करने हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए|

15. उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की पहली रिपोर्ट आयोग को 25.09.2021 को भेजी जाएगी और उसके बाद मासिक आधार पर रिपोर्ट भेजी जाएगी|

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
दूरभाष सं।. 011 -23701197
011-23446819

ईमेल : arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, एन. टी. पी. सी.

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के विद्युत् संयंत्रों के प्रबंध निदेशक: -

I. महात्मा गाँधी टी. पी. एस, सी. एल. पी. झज्जर, हरियाणा

II. पानीपत टी. पी. एस., एच.पी. जी.सी.एल., हरियाणा

III.राजीव गाँधी टी. पी. एस, हिसार, एच.पी. जी.सी.एल., हरियाणा

IV.दीनबंधु छोटूराम टी. पी. एस, यमुनानगर, एच.पी. जी.सी.एल., हरियाणा

V. गुरु हरगोबिंद टी. पी. एस., पी.एस. पी.सी. एल., पंजाब

VI. नाभा पावर लिमिटेड, राजपुरा टी. पी. एस, पंजाब

VII.तालवंडी साबो टी. पी. एस. मनसा, टी. एस. पी. एल., पंजाब

VIII.गुरु गोबिंद सिंह, टी. पी. एस, पी.एस. पी.सी. एल., पंजाब

IX. हरदुआगंज टी. पी. एस, यू. पी. आर. वी. यू. एन. एल., उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि अग्रसारित: -

1. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, छठवीं मंज़िल, पंजाब सिविल सचिवालय, सेक्टर-1 , चंडीगढ़ - 160001
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौथी मंज़िल, सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन, यू. पी. सिविल सचिवालय विधान सभा मार्ग लखनऊ - 226001
4. अपर सचिव, विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार
5. अपर मुख्य-सचिव, विद्युत् पंजाब सरकार
6. अपर मुख्य-सचिव, विद्युत् एवं नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, हरियाणा सरकार
7. अपर मुख्य-सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
8. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड|

(अरविन्द नौटियाल)